प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 10 मार्च, 2016

विषयः- उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना एवं अन्य पूर्व योजनाओं के अन्तर्गत शासकीय गारण्टी पर लिये गये हडको के ऋणों के पुनर्भगतान/पुनर्समाधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ का पत्र संख्या-145/ग्रा0आ0परि0-199, दिनांक-03 दिसम्बर, 2015 एवं संख्या-186/ग्रा0आ0परि0-199, दिनांक-25 फरवरी, 2016(छायाप्रति मयसंलग्न) के द्वारा दिनांक-14-09-2015 को प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना एवं अन्य पूर्व योजनाओं के अन्तर्गत शासकीय गारण्टी पर लिये गये हडको के ऋणों के पुनर्भगतान/पुनर्समाधान के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-33/2015/1250/38-4-15-05(बजट)/2012-टी0सी0-।।, दिनांक-30-11-2015 के क्रम में ओ0टी0एस0(एकमुश्त समझौता) की धनराशि रू0-16,62,69,000.00 पर दिनांक-01 अप्रैल, 2015 से दिनांक-31 दिसम्बर, 2015 तक कुल 275 दिनों के ब्याज की धनराशि के भुगतान का उल्लेख किया गया है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के ब्याज हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-80,00,00,000.00 की धनराशि में से परिषद के प्रस्तावानुसार ओ0टी0एस0(एकमुश्त समझौता) की धनराशि पर आगणित ब्याज की धनराशि धनराशि रू0-1,06,48,049.00(रूपये एक करोड़ छः लाख अड़तालिस हजार उन्चास मात्र) को हडको को ब्याज का भुगतान करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु हडको से ली गयी धनराशि के सापेक्ष ऋण के भुगतान में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, उसके पश्चात् ही किया जायेगा ।

(4) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से व्यय कर लिया जायेगा ।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि में ब्याज के आगणन की शुद्धता में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए संयुक्त आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, लखनऊ सीधे जिम्मेदार होंगे। भुगतान/व्यय करने के पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्तर पर ब्याज के आगणन की शुद्धता पुनः सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए हडको से लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-बी-4/35/दस-2016, दिनांक- 09 मार्च, 2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव ।

संख्या-05/2016/245(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।